राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3), शासन सचिवालय, जयपुर
Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com

क्रमांक : एफ 40(88)ग्रावि / नरेगा / गौरव पथ / 2014 जयपुर, दिनांक :

14 AUG 2015
14 AUG 2015

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त (झालावाड को छोडकर)।

विषय :- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किये जा रहे गौरव पथ के दोनों ओर नाली निर्माण का कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जा रहे गौरव पथ के दोनों और नाली निर्माण बनाये जाने की आवश्यकता दर्शाई है। इस सम्बन्ध में विभागीय निर्देशों में भी यह अंकित है कि ग्राम की आन्तरिक सड़कों के साथ नाली निर्माण का कार्य भी अवश्य कराया जावे।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम में पक्की आन्तरिक सड़कें या गलियों एवं उन पर नालियों का निर्माण अनुमत है तथा लाईन विभागों के कार्यकारी एजेन्सी होने की स्थिति में श्रम सामग्री का अनुपात 60:40 जिला स्तर पर संधारित किया जाना होता है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा से अथवा अन्य योजनाओं से कन्वर्जेन्स कर नियमानुसार स्वीकृतियां जारी कर उक्त कार्य सम्पादित कराए जा सकते है।

अतः तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित करावे।

भवदीय

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. मुख्य अभियंता, पथ / स्पेशल स्कीम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जेकब रोड़, जयपुर।
6. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, झालावाड़ को भेजकर लेख है कि मुख्यमंत्री महोदया द्वारा झालावाड़ भ्रमण के दौरान दिये गये निर्देशों के क्रम में पत्रांक एफ 40(88)ग्रावि / नरेगा / गौरव पथ / 2014 दिनांक 18.06.2015 (प्रति संलग्न) से निर्देश जारी किये गये थे, कृपया अनुपालना से अवगत करावे।

परि. निदे. ~~एवं पदेन~~ उप सचिव, ईजीएस